न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : ओम कसेरा, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या –101/2019 (Bank Case)

आई सी आई सी आई बैंक लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय– रेस कोर्स सर्कल, बडोदरा–390007462 तथा शाखा कार्यालय– 2 सी मधुबनी, बधुबन, उदयपुर–313001जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री नितिन जोशी

– प्रार्थी /सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. श्री कमल कुमार शर्मा पिता श्री रमेश कुमार शर्मा
   1/279 गणेश तालाब, कोटा शहर, जिला–कोटा राज. ।
2. श्रीमति अवनीका शर्मा पत्नि श्री कमल कुमार शर्मा
   1/279, तीन बत्ती रोड (मेट्रो मेडिकल के सामने) गणेश तालाब, कोटा शहर, जिला–कोटा राज.

– अप्रार्थीगण

कार्यालय जिला कलक्टर कोटा

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूरीटीजेशन रिक्सट्रक्शन आफ फाईनेंशियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित

श्री राजेन्द्र जैन , अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक: 01.10.2019

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आई सी आई सी आई बैंक लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय– रेस कोर्स सर्कल, बडोदरा–390007462 तथा शाखा कार्यालय– 2 सी मधुबनी, बधुबन, उदयपुर–313001 से अप्रार्थीगण ने ऋण करार संख्या LBKOT0000065357 के द्वारा दिनांक 31.12.2003 को रूपये 8,25,000/–(अक्षरेः रूपये आठ लाख, पच्चीस हजार मात्र) का ऋण लिया था । अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **अचल सम्पत्ति श्री कमल कुमार शर्मा पिता श्री रमेश कुमार शर्मा के नाम भूमि एवं निगार्ण आवासीय संपत्ति प्लॉट नं. 501 जिसका क्षैत्रफल 260.34 वर्गमीटर है जो कि यूआईटी, राजीव गांधी नगर योजना, कोटा शहर, जिला–कोटा (राज.) में स्थित है । जिसका आवंटन पत्र कमांक/एफ 11/न.वि. न्या/राजीवगांधी नगर/03/363 दिनांक 15.12.2003 नगर विकास न्यास कोटा द्वारा जारी किया गया है** । को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 05.10.2017 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थीगण के खातों मे 6,09,748/– (अक्षरे रूपये छः लाख, नौ हजार, सात सौ, अड़तालिस रूपये मात्र) बकाया रकम दिनांक 24.05.2018 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है । प्रार्थी बैंक ने उक्त

जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 24.05.2018 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, तथा नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र राज ''एक्सप्रेस'' में दिनांक 6.7.2018 को एवं **"BUSINESS STANDARD"** में प्रकाशन भी कराया इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नही संभलाया है । प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उसके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 24.05.2018 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, तथा नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र राज ''एक्सप्रेस'' में दिनांक 6.7.2018 को एवं **"BUSINESS STANDARD"** में प्रकाशन भी कराया इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत दिनांक 24.05.2018 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, तथा नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र राज ''एक्सप्रेस'' में दिनांक 6.7.2018 को एवं "BUSINESS STANDARD" में प्रकाशन भी कराया इसके पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/ बंधककर्ता **अचल सम्पत्ति श्री कमल कुमार शर्मा पिता श्री रमेश कुमार शर्मा के नाम भूमि एवं निमार्ण आवासीय संपत्ति प्लॉट नं. 501 जिसका क्षैत्रफल 260.34 वर्गमीटर है जो कि यूआईटी, राजीव गांधी नगर योजना, कोटा शहर, जिला–कोटा (राज.) में स्थित है । जिसका आवंटन पत्र कमांक/एफ 11/न.वि.न्या/राजीवगांधी नगर/03/363 दिनांक 15.12.2003 नगर विकास न्यास कोटा द्वारा जारी किया गया है** । का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 01.10.2019 को सुनाया गया ।

(ओम कसेरा)
जिला मजिस्ट्रेट

Scanned by CamScanner